रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-12012021-224354 CG-DL-E-12012021-224354

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 12, 2021/पौष 22, 1942

No. 16]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 12, 2021/PAUSHA 22, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2021

सं. 02/2021 - केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 18(अ).—सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13), की धारा 3 अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 609 (अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 2/2017- केंद्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, -

(।) सारणी । में, -

167 GI/2021 (1)

(क) स्तम्भ (4), में क्रम संख्यांक 7,के सामने 7.4.2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा : -

(4) "7.4.2 आयुक्त (अपील ।) दिल्ली और अतिरिक्त आयुक्त (अपील ।।) दिल्ली ";

(ख) स्तम्भ (4), में क्रम संख्यांक 14,के सामने 14.4.1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा : -

 (4)

 "14.4.1
 आयुक्त (अपील ।।) मुंबई और अतिरिक्त आयुक्त (अपील I) मुंबई ";

(।।) सारणी III में. अंत में निम्नलिखित अंतस्थापित जाएगा. अर्थात: -

"टिप्पण 1: क्रम संख्यांक 7.4.1 और 7.4.2 पर प्रविष्टियों लिए स्तम्भ (4) में उल्लिखित आयुक्त (अपील I)दिल्ली को सारणी III में क्रम संख्यांक13 और 14 स्तम्भ (2) में उल्लिखित दिल्ली I और दिल्ली II के ऊपर अधिकार क्षेत्र होगा;

टिप्पण 2: क्रम संख्यांक 14.4.1 और 14.4.2 पर प्रविष्टियों लिए स्तम्भ (4) में उल्लिखित आयुक्त (अपील II) मुंबई को सारणी III में क्रम संख्यांक 31 और 32 स्तम्भ (2) में उल्लिखित मुंबई I और मुंबई II के ऊपर अधिकार क्षेत्र होगा।"

[फा. सं.सीबीईसी-20/19/06/2020-जी एस टी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना संख्यांक 2/2017-केंद्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), सा.का.िन. संख्यांक 609(अ) तारीख, 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई और अधिसूचना संख्यांक 4/2019-केंद्रीय कर, तारीख 29 जनवरी, 2019 को सा.का.िन. संख्यांक 64(अ) तारीख 29 जनवरी, 2019 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 2021

No. 02/2021 - Central Tax

G.S.R. 18(E).—In exercise of the powers conferred under section 3 read with section 5 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) and section 3 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Government, hereby makes the following notification further to amend the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue No. 2/2017-Central Tax, dated the 19th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i) *vide* number G.S.R. 609(E), dated the 19th June, 2017, namely: -

In the said notification, -

- (I). in Table I, -
 - (a) against Sl. No. 7, in column (4), for 7.4.2 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

			(4)			
"7.4.2	Commissioner (Appeals II) De	 I)	Delhi	and	Additional	Commissioner

(b) against Sl. No. 14, in column (4), for 14.4.1 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

(4)			
"14.4.1	Commissioner (Appeals II) Mumbai and Additional Commissioner (Appeals I) Mumbai";		

(II). in Table III, the following shall be inserted at the end, namely: -

"Note 1: The Commissioner (Appeals I) Delhi mentioned in Column (4) for entries at SI. No. 7.4.1 and 7.4.2 shall have jurisdiction over Delhi I and Delhi II mentioned in Column (2) at SI. No. 13 and 14 of Table III;

Note 2: The Commissioner (Appeals II) Mumbai mentioned in Column (4) for entries at SI. No. 14.4.1 and 14.4.2 shall have jurisdiction over Mumbai I and Mumbai II mentioned in Column (2) at SI. No. 31 and 32 of Table III."

[F.No. CBEC-20/19/06/2020-GST]

PRAMOD KUMAR, Director

Note: The principal Notification No. 2/2017-Central Tax, dated the 19th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 609(E), dated the 19th June, 2017 and was last amended *vide* notification No. 04/2019 —Central Tax, dated 29th January, 2019, published *vide* number G.S.R. 64 (E), dated the 29th January, 2019.